



148

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
**अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002**  
**(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-780/1453

रायपुर, दिनांक 16/06/2023

प्रति,

**प्रमुख सचिव**  
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
 मंत्रालय, महानदी भवन  
 नवा रायपुर

- विषय:** — **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for the rehabilitation and Upgrading of Dewari- Saldih- Gadphuljhar- Toshgaon- Toreshingha Road area 2.767 ha. Mahasamund District in the State of Chattisgarh- reg.**
- **पंजीयन क्रमांक — FP/CG/Road/ 32638/ 2018**
- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/TROCH-20/ 2023/ 1369 (A) दिनांक 28.04.2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-12/ 2022/ 10-2 दिनांक 15.05.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / एफ.सी.ए. / 6304 दिनांक 09.06.2023

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा Rehabilitation and Upgrading of Dewari- Saldih- Gadphuljhar- Toshgaon- Toreshingha Road हेतु प्रभावित कुल 2.767 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बलौदाबाजार संभाग, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्तें	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-1)
(ii)	Compensatory Afforestation : a) Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.534 ha Orange Area degraded forest land Compartment No. AO-469, Range- Bagbahra, District Mahasamund at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. हेतु आवश्यक राशि 53,49,530.00 रु (तिरपन लाख उनचास हजार पाँच सौ तीस रु मात्र) आर.टी.जी.एस के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा कर दिया गया है। आर.टी.जी.एस. की चालान प्रति संलग्न। (परिशिष्ट क्रमांक-2)
	b) The Orange Area degrade forest land Compartment No.-469 for proposed compensatory afforestation the State Forest department shall be declared as Reserved Forest under Section - 4 or protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. नारंगी क्षेत्र कक्ष क्रमांक 469 में प्रस्तावित है। जिसका कुल रकबा 14.750 हे. है। परन्तु कलेक्टर महासमुन्द द्वारा 5.534 हे. भूमि का ही अनापत्ति

	the relevant Section (s) of the State forest Act.	प्रमाण पत्र दिया गया है। वनखण्ड के सम्पूर्ण रकबा 14.750 हे. का अनापत्ति देने हेतु कलेक्टर महासमुन्द को वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./3043 दिनांक 25.05.2023 द्वारा लेख किया गया है। सम्पूर्ण वनखण्ड का अनापत्ति प्राप्त होते ही अधिसूचना प्रस्ताव पृथक से प्रेषित किया जावेगा।
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per Compensatory Afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. हेतु आवश्यक राशि 53,49,530.00 रु (तिरपन लाख उनचास हजार पाँच सौ तीस रु मात्र) आर.टी.जी.एस के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि परिशिष्ट क्रमांक-2 से की जा सकती है।
(iv)	NPV: a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.767 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Honble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard.  b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becomes due after finalization of the same by the Honble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency furnish an undertaking to this effect;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्याशा मूल्या की राशि 33,99,508.00 रु (तीतीस लाख निन्नाबे हजार पाँच सौ आठ रु मात्र) आर.टी.जी.एस के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि परिशिष्ट क्रमांक-2 से की जा सकती है।  आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-3)
(v)	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-4)। आवेदक संस्थान द्वारा वृक्ष विदोहन योजना अनुसार आवश्यक राशि 1,71,658.00 रु (एक लाख एकहत्तर हजार छ सौ अठावन रु मात्र) पी.डी. खाता में जमा कर दिया गया है।
(vi)	All the fund received from the user agency under the project shall be transferred/deposite to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> );	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-5)
(vii)	The boundry of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feel high rainforce cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-6)

(viii)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-7)
(ix)	User Agency shall raise strip plantation on both side and central verge of the road as per the IRC norms;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-8)
(x)	Speed regulating singnage will be erected along the road at regular intervals in the protected Areas/Forest Areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-9)
(xi)	To improve the Forest/tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environment (Protection) Act, 1986 respectively, the user agency shall raise 7500 plants of forestry species alonge with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous in the vicinity of project area preferrbly near the proposed road. A complaince report including species wise details of seeding raised location of plantation area and details of villagers whome seeding raised location of plantation six month and submitted to Regional Office of MoEF & CC.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-10)
(xii)	Width of right of way for the road shall be limited to 14 m;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-11)
(xiii)	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provision of the Environment (Protection) Act, 1986, if applicable;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-12)
(xiv)	The State Forest Department shall ensure that all proposed structures provide safe passage for the smooth movement of wildlife and cattle as suggested by the wildlife institute of India in manual entitled "eco-friendly Measures to Mitigate Impact of linear Infrastructure on wildlife, publice in 2016 and as desired that KML file of the entire aligments should be submitted to the IRO, Raipur along with the Stage-I Compliance report;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-13)
(xv)	No labour camp shall be establised on the Forest land;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-14)
(xvi)	The User Agency shall provided fuels preferably alternate feuls to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-15)
(xvii)	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-16)
(xviii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-17)
(xix)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-18)

(xx)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-19)
(xxi)	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-20)
(xxii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-21)
(xxiii)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न (परिशिष्ट क्रमांक-22)
(xxiv)	The compliances report shall be uploaded on e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http : // parivesh. nic.in/</a> ).	पालन प्रतिवेदन को आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-780 / 1460

रायपुर, दिनांक 16/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 933 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल, महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
4. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार संभाग, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)  
o/c छत्तीसगढ़